भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1026

उत्तर देने की तारीख : 05.02.2026

एमएसएमई के लिए मेगा सम्मेलन

1026. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कौशल और बाज़ार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान 5.0 शुरू किया है और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और राष्ट्रीय एससी एसटी हब मेगा सम्मेलन जैसे राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ख) अभियान के नोडल अधिकारी और आउटरीच योजना केंद्रीय योजनाओं और जिला प्रशासनों के बीच समन्वय को किस प्रकार सुदृढ़ बनाएंगे;

(ग) क्या अभियान में समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए एससी/एसटी और वंचित उद्यमियों के लिए लक्षित हस्तक्षेप शामिल हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) इन आयोजनों में घोषित प्रशिक्षण, वित्त सुविधा और बाज़ार संपर्कों के परिणामों की निगरानी किस प्रकार की जाएगी; और

(ङ) क्या इन अभियान प्रतिबद्धताओं को स्थायी रोजगार और उद्यम विकास में परिवर्तित करने के लिए समय-सीमा और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ङ): **विशेष अभियान 5.0:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने कार्यान्वयन चरण अर्थात 2-31 अक्टूबर, 2025 के दौरान, अपने संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों और फील्ड संरचनाओं के साथ मिलकर, 'विशेष अभियान 5.0' के तहत कई कार्यकलापों को सक्रिय रूप से पूरा किया है। इस अभियान में पीएमओ/वीआईपी संदर्भों, सार्वजनिक शिकायतों, संसदीय आश्वासन आदि में लंबित मामलों को कम करने और सरकारी मंत्रालयों/विभागों में स्वच्छता के लिए संस्थागत स्तर पर विशेष ध्यान दिया गया है। अभियान के 5वें संस्करण में सेवा वितरण के लिए जिम्मेदार क्षेत्र/आउटस्टेशन कार्यालयों या सरकारी कार्यालयों में उत्पन्न ई-वेस्ट के निपटारे पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

"विशेष अभियान 5.0" के तहत, अभियान के कार्यकलापों के समन्वय और उनकी निगरानी के लिए कार्यालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिससे सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

एमएसएमई मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने निर्धारित किए गए 7 मानदंडों (नामत: पीएमओ संदर्भों, अंतर-मंत्रालयी मंत्रिमंडलीय संदर्भ, राज्य सरकार के स्तर पर सरकारी संदर्भों का निपटारा, सार्वजनिक शिकायतों की स्वच्छता अभियान साइट, ई-फाइलों की समीक्षा) में 100% उपलब्धि प्राप्त की तथा निर्धारित अन्य 03 मानदंडों (नामत: सार्वजनिक शिकायत अपील, भौतिक फाइलों की समीक्षा तथा बेकार मदों का निपटारा) के लिए 95% से अधिक उपलब्धि प्राप्त की। कुल 21.045 वर्ग फुट क्षेत्र की स्वच्छता के साथ विभिन्न कार्यालय परिसरों और आस-पड़ोस के क्षेत्रों में 1,045 स्वच्छता अभियानों का आयोजन किया गया जिससे बेकार मदों के निपटारे के माध्यम 22.89 लाख रुपए का राजस्व सृजित किया गया।

पीएम विश्वकर्मा स्कीम: पीएम विश्वकर्मा स्कीम 18 व्यापारों में कार्यरत कारीगरों और शिल्पकारों जो अपने हाथों और औजारों से कार्य करते है को संपूर्ण सहायता प्रदान करती है। सितंबर, 2023 में इसकी शुरुआत से 850 जागरूकता कार्यक्रमों और कैंपो, 65 कार्यशालाएं, 50 व्यापार मेले, 34 राज्य स्तरीय प्रदर्शनियां और 52 फ्लैश मोब्स आयोजित किए गए हैं तथा वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ गहन समन्वय के साथ एमएसएमई विकास कार्यालयों के माध्यम से 716 जिला-स्तरीय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब स्कीम: अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के बीच जागरुकता सृजित करने तथा सार्वजनिक खरीद में उनकी प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) स्कीम ने अन्य प्रमुख हितधारकों अर्थात संबंधित राज्य सरकार, सीपीएसई, उद्योग संघों, बैंकों, जेम आदि की सक्रिय सहभागिता में पूरे देश में समारोहों/कॉन्क्लेव आयोजित करती है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कुछ मेगा समारोह/कॉन्क्लेव का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	मेगा कॉन्क्लेव का नाम	समारोह का स्थान
1	पीएम विश्वकर्मा के तहत एक वर्ष की प्रगति को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम	वर्धा, नागपुर
2	पीएम विश्वकर्मा और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब मेगा कॉन्क्लेव' पीएम विश्वकर्मा के तहत दूसरे वर्ष की प्रगति को रेखांकित करते हुए	बोध गया, बिहार
3	एमएसएमई सेवा पर्व-2025: विरासत से विकास	वाराणसी, उत्तर प्रदेश
4	पीएम विश्वकर्मा और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब कॉन्क्लेव	मयूरभंज, ओडिशा
5	पीएम विश्वकर्मा हाट 2026	दिल्ली हाट, नई दिल्ली

एमएसएमई मंत्रालय कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री में सुविधा प्रदान करने के लिए इच्छुक और मौजूदा उद्यमियों को अपने दायरे का विस्तार करने के लिए एक प्रदर्शनी के साथ-साथ एक इंटरैक्टिव मंच प्रदान करने के लिए मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन करता है। एमएसएमई मंत्रालय जागरूकता सृजित करके तथा कौशल उन्नयन, डिजिटल लेनदेन, क्रेडिट सहायता और गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, जेम जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग, विज्ञापन, प्रचार और मूल्य श्रृंखला से जुड़ाव में सुधार के लिए अन्य विपणन गतिविधियों के रूप में विपणन सहायता पर ध्यान केंद्रित करके स्कीम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करता है। हाल ही में, एमएसएमई मंत्रालय ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, हितधारकों और आम जनता के लिए 117 कारीगरों को अपने हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी और विपणन के लिए एक प्रमुख प्लेटफॉर्म प्रदान करते हुए पारंपरिक शिल्प कौशल की भारत की समृद्ध विरासत का उत्सव मनाने और प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली हाट, नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन किया।

******